न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या – 177 / 2023

रामस्वरूप पुत्र स्व.श्री बीरबलदास आयु 55 वर्ष जाति स्वामी निवासी चक 18 एच.एम.एच. तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—— अपीलांट

बनाम

1– स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलैक्टर, हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2– अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3– तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंट

अपील
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2023
द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, हनुमानगढ़
अनवान ''रामस्वरूप बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान'' प्र. सं. 429 / 2021
उपस्थितिः–
1. श्री राजेश दीपराय, श्री विपिन कुमार स्वामी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–1

निर्णय दिनांक 27.07.23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनवानी ''रामस्वरूप बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आदि'' वाद संख्या 429 / 2021 प्रस्तुत कर कथन किया किचक 18 एचएमएच तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 128 / 274 (36) किला नम्बर 17 से 25, पत्थर नम्बर 127 / 275 (38) किला नम्बर 5 से 7, 12 से 19, 22 से 25 व पत्थर नम्बर 128 / 276 (44) किला नम्बर 1 कुल तादादी 25 बीघा कृषि भूमि वादी के दादा स्व.श्री मुरलीदास पुत्र श्री गुलाबदास को भाखड़ा उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत आवंटित हुई थी। वादी के दादा के नाम यह भूमि गैर खातेदारी रहने के दौरान ही दादा श्री मुरलीदास का देहान्त हो गया तथा इस भूमि पर विरास्तन इन्तकाल संख्या–22 उनके पुत्रों बीरबलदास व साहबराम के नाम दर्ज हुआ। उक्त चक 18 एचएमएच व चक 17 एचएमएच में भू–प्रबंध से पूर्व पत्थर लाईन 275 पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पत्थर नम्बर 127/275, पत्थर नम्बर 128/275, पत्थर नम्बर 129/275, पत्थर नम्बर 130/275 व पत्थर नम्बर 131/275 के प्रत्येक किला नम्बर 1 से 5 में 3–3 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत था तथा वादी के दादा के नाम दर्ज उक्त भूमि के पत्थर नम्बर 127/275 (38) किला नम्बर–5 में पूर्व से पश्चिम 3 बिस्वा रास्ता स्वीकृत था जो तथ्य जमाबंदी खाता संख्या–44 सम्वत् 2025 से 2027 से रोशन है। उक्त जमाबंदी में पत्थर नम्बर 127/275 (38) किला नम्बर–5 में पूर्व से पश्चिम 3 बिस्वा रास्ता व उत्तर से दक्षिण 2 बिस्वा गैरमुमकिन खाला इस प्रकार कुल 5 बिस्वा गैर मुमकिन भूमि होने से शेष 15 बिस्वा भूमि मुमकिन दर्ज थी। सन् 1971 के पश्चात् हनुमानगढ़ टाउन से बड़ोपल तक प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा सड़क का निर्माण प्रस्तावित किया गया। यह सड़क हनुमानगढ़ टाउन से फतेहगढ़ रोड़ के नाम से प्रसिद्व है। यह सड़क चक 17 एचएमएच व चक 18 एचएमएच में पत्थर लाईन 275 के मध्य बिन्दू से दोनों तरफ 5–5 बिस्वा कुल 10 बिस्वा अर्थात 82½ फीट चौड़ी प्रस्तावित की गई व इस सड़क हेतु सर्वे एवं अवाप्ति की कार्यवाही में चक 18 एचएमएच के तत्कालीन मुरब्बा नम्बर 35, 36, 37, 38 के मध्य पत्थर लाईन 275 के दोनों तरफ 5–5 बिस्वा भूमि सड़क हेतु अवाप्त की गई। पत्थर लाईन 127/275 व पत्थर नम्बर 128/275 प्रत्येक के किला नम्बर 1 से 5 में पहले से ही 3–3 बिस्वा रास्ता गैरमुमकिन मौजूद था। अतः उक्त दोनों पत्थर नम्बरों के किला नम्बर 1 से 5 में उक्त गैरमुमकिन रास्ता सहित प्रत्येक बीघा में 5–5 बिस्वा भूमि व पत्थर लाईन 275 के उत्तरी तरफ पत्थर नम्बर 127/274 व पत्थर नम्बर 128/274 प्रत्येक के किला नम्बर 21 से 25 में 5–5 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई। भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही के अन्तर्गत भी सम्बंधित खातेदारों को मुआवजा इसी कदर तय किया गया। इस प्रकार उक्त अवाप्ति की कार्यवाही के परिणामस्वरूप चक नम्बर 18 एचएमएच के पत्थर नम्बर 128/274 (36) किला नम्बर 17 से 20, 21/0.15, 22/0.15, 23/0.15, 24/0.15, 25/0.15 तादादी 7 बीघा 15 बिस्वा, पत्थर नम्बर 127/275 (38) किला नम्बर 5/0.15 मय गैर.मु.खाला, 6 मय गैर.मु.खाला, 7, 12, 13, 14, 15 मय गैर.मु.खाला, 16 मय गैर.मु.खाला, 17 से 19, 22 से 24, 25 मय गैर.मु.खाला तादादी 14 बीघा 15 बिस्वा व पत्थर नम्बर 128/276 (44) किला नम्बर 1 तादादी 1 बीघा कुल तादादी 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी के दादा की शेष रही जिसमें से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि सड़क में अवाप्त हुई। उक्त अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने के तुरन्त बाद भू–प्रबंध प्रारम्भ हुआ तथा इस कारण राजस्व विभाग का अभिलेख भू–प्रबंध विभाग को सुपुर्द किया जा चुका था जिसके कारण उक्त अवाप्ति शुदा भूमि के सम्बंध में इन्तकाल की कार्यवाही नहीं हो सकी तथा भू–प्रबंध विभाग ने खतौनी जमाबंदी व पर्चा लगान तैयार करते समय वादी के दादा के उक्त खाता में सड़क में अवाप्त पत्थर नम्बर 127/275 (38) के किला नम्बर–5 में 5 बिस्वा की बजाय 10 बिस्वा भूमि सड़क में अवाप्त होने का विधि विरूद्व एवं अधिकार विहिन इन्द्राज

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कर उक्त भूमि पत्थर नम्बर 127/275 (38) के किला नम्बर–5 में 10 बिस्वा भूमि का गलत इन्द्राज कर दिया तथा इस प्रकार उक्त किला नम्बर–5 में सड़क हेतु 5 बिस्वा भूमि ही अवाप्त होने के बावजूद कतई गलत, विधि विरूद्व तथा अधिकारिता रहित रूप से बिना सक्षम अधिकारी के आदेश व बिना अवाप्ति के 10 बिस्वा भूमि कम कर दी। उक्त इन्द्राज कतई गलत, विधि विरूद्व एवं अधिकारातीत होने के कारण प्रारम्भतः ही अवैध व शून्य है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा की गई उक्त गलत प्रविष्टि के परिणामस्वरूप कालान्तर में जमाबंदी में उक्त किला नम्बर–5 के सम्बंध में इसी कदर गलत इन्द्राज होते आये। वादी के पिता स्व.श्री बीरबलदास के देहान्त उपरान्त वादी को उक्त भूमि में से पत्थर नम्बर 18 एचएमएच के पत्थर नम्बर 127/75 (38) (वर्तमान मु0नं0 49) किला नम्बर 5/1/0.101, 5/2/0.025 गैर.मु. खाला, 6/1/0.228, 14/0.133, 15/1/0.228, 15/2/0.025 गैर.मु.खाला, 17, 19, 24/0.759 = 1.449 हैक्टेयर मुमकिन = 0.075 हैक्टेयर गै.मु.खाला, पत्थर नम्बर 128/274 (36) (वर्तमान मु.नं. 47) किला नम्बर 23/0.057 = 0.057 हैक्टेयर कुल 1.581 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई जो वादी के नाम दर्ज है। वादी के नाम जमाबंदी चक 18 एचएमएच खाता संख्या 160/101 सम्वत 2074–2077 में पत्थर नम्बर 127/275 के किला नम्बर–5 में दर्ज इन्द्राज ''.101 हैक्टेयर मय गैर.मु. व 0.025 हैक्टेयर गैर.मु.खाला कुल 0.126 हैक्टेयर'' कतई गलत है। वादी की उक्त भूमि में किला नम्बर–5 में 0.10 बिस्वा अर्थात 0.127 हैक्टेयर सड़क के लिए अवाप्त नहीं हुई अपितु 5 बिस्वा अर्थात 0.063 हैक्टेयर ही अवाप्त हुई थी तथा शेष भूमि 0.165 हैक्टेयर मुमकिन व 0.025 हैक्टेयर गैर.मु.खाला कुल 0.190 हैक्टेयर वादी की शेष खातेदारी रही व इसी कदर यह भूमि वादी के कब्जा काश्त में है। वादी की चक 18 एचएमएच के पत्थर नम्बर 127/275 (49) के किला नम्बर–5 के चिपते पूर्वी मुरब्बा पत्थर नम्बर 128/275 (48) के किला नम्बर 1 से 5 में भी 5–5 बिस्वा भूमि सड़क के लिए अवाप्त हुई थी, लेकिन भूप्रबंध विभाग ने कतई गलत रूप से उक्त किला नम्बर 1 से 5 में 10–10 बिस्वा दर्ज कर दी। इस भूमि के खातेदार लेखराम आदि ने माननीय न्यायालय के समक्ष इस गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु राजस्व वाद संख्या 223/2014 शीर्षक ''लेखराम आदि बनाम स्टेट आदि'' प्रस्तुत किया जो दिनांक 15.02.2016 को डिक्री फरमाया गया। इसी प्रकार चक 18 एचएमएच के पत्थर नम्बर 127/275 (49) के किला नम्बर 2 से 4 में भी 5–5 बिस्वा भूमि सड़क के लिए अवाप्त हुई थी लेकिन भूप्रबंध विभाग ने कतई गलत रूप से उक्त किला नम्बर 2 से 4 में 10–10 बिस्वा दर्ज कर दी। इस भूमि के खातेदार रतनलाल ने भी माननीय न्यायालय के समक्ष इस गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु राजस्व वाद संख्या 24/2008 शीर्षक ''रतनलाल बनाम स्टेट आदि'' प्रस्तुत किया जो दिनांक 18.06.2013 को डिक्री फरमाया गया। वादी ने प्रतिवादीगण से अर्सा एक माह पूर्व निवेदन किया कि पत्थर नम्बर 127/275 व पत्थर नम्बर 128/275 के किला नम्बर 1 से 5 में 5–5 बिस्वा भूमि ही सड़क के लिए अवाप्त की गई थी तथा भूप्रबंध विभाग ने इन किलों में गलत रूप से 10–10 बिस्वा सड़क

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

की दर्ज कर दी जो उक्त वर्णित राजस्व वादपत्रों संख्या 223/2014 व 24/2008 में पत्थर नम्बर 127/275 के किला नम्बर 2 से 4 व पत्थर नम्बर 128/275 के किला नम्बर 1 से 5 में दुरूस्त कर 5–5 बिस्वा भूमि ही सड़क में आने से रिकार्ड को दुरूस्त किया जा चुका है। अतः वे वादी के पत्थर नम्बर 127/275 (49) किला नम्बर–5 में अंकित गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने में सहमति दे देंवे तो वे इन्कार हो गये व वादी के कब्जा काश्त की भूमि में हस्तक्षेप करने की धमकी देने लगे। यही वाद कारण है। प्रतिवादीगण को इस तथ्य का भली भांति ज्ञान है कि वादी की खातेदारी भूमि चक 18 एचएमएच के पत्थर नम्बर 127/275 (49) के किला नम्बर–5 में सड़क हेतु सिर्फ 5 बिस्वा भूमि ही अवाप्त हुई है तथा भूप्रबंध विभाग ने इस किला में 0.10 बिस्वा गैर मु.रास्ता का गलत इन्द्राज किया है, लेकिन इसके बावजूद वे वादी की उक्त किला नम्बर–5 में 0.5 बिस्वा से अधिक 0.10 बिस्वा भूमि में वादी की खड़ी फसल को नष्ट करने की धमकी दे रहे हैं। प्रतिवादीगण का यह कृत्य कतई गलत व विधि विरूद्व है। प्रतिवादीगण को वादी की उक्त किला नम्बर–5 में सड़क हेतु अवाप्त 5 बिस्वा अर्थात 0.063 हैक्टेयर से अधिक भूमि में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपने इस कृत्य में सफल हो जाते हैं तो वादी को अपरिमेय क्षति होगी। इन परिस्थितियों में वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी कृषि भूमि चक 18 एचएमएच के पत्थर नम्बर 127/275 (49) के किला नम्बर–5 में 15 बिस्वा भूमि में हस्तक्षेप नहीं करे व इस भूमि पर सड़क का निर्माण नहीं करे। प्रतिवादी संख्या–2 के विरूद्व वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व 2 माह का नोटिस दिया जाना कानूनन अनिवार्य है, लेकिन प्रतिवादी संख्या–2 उक्त वर्णित अनुसार राजस्व अभिलेख में हुई गलत प्रविष्टियों का नाजायज फायदा उठाते हुए वादी की खातेदारी भूमि में सड़क निर्माण करने को कटिबद्व है तथा इस हेतु उन्होनें इस सड़क के निर्माण हेतु धमकी दी है। यदि वादी दो माह का नोटिस देकर वाद पत्र प्रस्तुत करता है तो प्रतिवादीगण इससे पूर्व ही वादी को बेदखल कर देंगे व वादी का वाद पत्र ही निष्फल हो जायेगा। मामला आकस्मिक प्रकृति का है इन परिस्थितियों में वादी यह वाद पत्र बिना नोटिस दिये प्रस्तुत कर रहा है। प्रतिवादी संख्या–3 प्रश्नगत भूमि का भू–धारक है इसलिये उसे बतौर प्रतिवादी संख्या–3 संयोजित किया जा रहा है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है जो 2/–रूपये के न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद है। वादी ने उक्त वाद के जरिये इस आशय की डिक्री चाही कि घोषणा फरमाई जावे कि चक 18 एचएमएच तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 160/101 सम्वत 2074–2077 में पत्थर नम्बर 127/275 (49) के किला नम्बर–5 में वादी 0.165 हैक्टेयर मुमकिन नहरी व 0.025 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला कुल 0.190 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार है तथा मुताबिक घोषणा जमाबंदी की प्रविष्टि किला नम्बर 5/1/0.101 है0'' को दुरूस्त फरमाया जाकर किला नम्बर 5/1/0.165 है0'' दर्ज फरमाया जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी कृषि भूमि चक 19 एचएमएच के पत्थर नम्बर 127/275 (49) के किला नम्बर–5 में 0.190 हैक्टेयर अर्थात 15 बिस्वा भूमि में कोई हस्तक्षेप नहीं करे व इस भूमि पर सड़क का निर्माण नहीं करे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2023 पारित की। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2023 के विरूद्व अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि पत्थर नम्बर 127/275 (49) के किला नम्बर 5 में 10 बिस्वा अर्थात .127 हैक्टेयर भूमि सड़क हेतु अवाप्त नहीं हुई बल्कि मात्र 5 बिस्वा अर्थात .063 हैक्टेयर अवाप्त हुई है शेष भूमि .165 हैक्टेयर मुमकिन नहरी व .025 हैक्टेयर गैरमुमकिन कुल .190 हैक्टेयर अपीलांट की खातेदारी भूमि रही है, लेकिन रिकॉर्ड में वादी के नाम .101 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन व .025 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला कुल .126 हैक्टेयर गलत दर्ज है। भू–प्रबंध विभाग ने कई गलत व विधि विरूद्व रूप से उक्त अंकन किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने अपने वाद पत्र को साबित करने हेतु प्रदर्श 1 से 15 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के सम्बंध में कोई जिरह नहीं की गई। अपीलांट की साक्ष्य अखण्डनीय रही। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में यह विवेचना की है कि वादी ने भूमि अवाप्ति से सम्बंधित विज्ञप्ति व मुआवजा सम्बंधी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश नहीं की तथा ना ही यह तथ्य साबित किया कि पत्थर नम्बर 127/275 के किला नम्बर 5 में मात्र 3 बिस्वा भूमि गैरमुमकिन रास्ता की रही हो और किला नम्बर 5 में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 5 बिस्वा भूमि ही अधिग्रहण की हो। अधीनस्थ न्यायालय की उक्त विवेचना कतई गलत व विधि विरूद्व है। सर्वप्रथम तो विज्ञप्ति के सम्बंध में रेस्पोडेंट ने अपने जवाबदावा में कोई इन्कार नहीं किया बल्कि इस तथ्य को स्वीकार ही किया है। ताहम भी वादी अपीलांट द्वारा दस्तावेज प्रदर्शित करते समय रेस्पोडेंट की ओर से कोई एतराज नहीं किया गया और अपीलांट द्वारा विज्ञप्ति की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की गई है जिस पर सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श–5 से प्रदर्श–8 के सम्बंध में रेस्पोडेंट का कोई विरोध नहीं था तथा इसी भूमि के चिपते खातेदार लेखराम की भूमि भी सड़क हेतु 5–5 बिस्वा अवाप्त की गई थी, लेकिन भू–प्रबंध विभाग ने गलत रूप से 10–10 बिस्वा दर्ज कर ली। इस सम्बंध में लेखराम आदि ने वाद पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें निर्णय प्रदर्श–12 पारित हुआ था। इसके अलावा इसी पत्थर नम्बर 127/275 के किला नम्बर 2 ता 4 में भी 5–5 बिस्वा भूमि के स्थान पर 10–10 बिस्वा भूमि दर्ज कर ली गई थी तथा सम्बंधित काश्तकार रतनलाल ने वाद प्रस्तुत किया जिसकी निर्णय व डिक्री प्रदर्श 14 व 15 पारित हुई तथा हस्तगत प्रकरण भी इसी पत्थर नम्बर 127/275 के किला नम्बर 5 से सम्बंधित है। रेस्पोडेंट ने वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकृत तथ्यों के सम्बंध में विधि विरूद्ध विवेचना की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर मुताबिक वाद पत्र वादी डिक्री फरमाया जावे।

4. रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट वादपत्र लेकर आया था तथा उसे वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को साबित करना था लेकिन उसने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को साबित नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। तथा अपील खारिज करने का निवेदन किया।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार प्रश्नगत भूमि पूर्व में 3 बिस्वा रास्ता गैरमुमकिन दर्ज थी तथा अवाप्त रकबा पूर्व रास्ता के अलावा किला नम्बर 5 में 2 बिस्वा का ही अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाकर अपीलांट के रकबा में से कम किया जाना था, परन्तु भू–प्रबंध विभाग द्वारा कुल 5 बिस्वा भूमि के स्थान पर 10 बिस्वा भूमि किला नम्बर–5 में कम कर सड़क के नाम दर्ज कर ली जो गलत रूप से दर्ज की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।
7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री 30.06.2023 अपास्त की जाकर वाद वादी स्वीकार कर चक 18 एचएमएच तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 160/101 सम्वत् 2074–2077 में पत्थर नम्बर 127/275 (49) के किला नम्बर–5 में वादी 0.165 हैक्टेयर मुमकिन नहरी व 0.025 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला कुल 0.190 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार है तथा मुताबिक घोषणा जमाबंदी की प्रविष्टि किला नम्बर 5/1/0.101 हैक्टेयर को दुरूस्त फरमाया जाकर किला नम्बर 5/1/0.165 हैक्टेयर दर्ज किया जावे तथा रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी अपीलाण्ट/वादी की खतोदारी भूमि में चक 18 एचएमएच के पं. नं. 127/275 (49) किला नं. 5 में .190 है अर्थात 15 बिस्वा भूमि में कोई हस्तक्षेप नहीं करे। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
8. निर्णय आज दिनांक 27.07.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

27/7/23

(करतार सिंह पूनिया)
आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या – 177/2023

रामस्वरूप पुत्र स्व.श्री बीरबलदास आयु 55 वर्ष जाति स्वामी निवासी चक 18 एच.एम.एच. तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–– अपीलांट

बनाम

1– स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलैक्टर, हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2– अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3– तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2023
द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, हनुमानगढ़
अनवान ''रामस्वरूप बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान'' प्र. सं. 429/2021

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री राजेश दीपराय, श्री विपिन कुमार स्वामी अधिवक्ता अपीलांट, श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–1 की बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री 30.06.2023 अपास्त की जाकर वाद वादी स्वीकार कर चक 18 एचएमएच तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 160/101 सम्वत् 2074–2077 में पत्थर नम्बर 127/275 (49) के किला नम्बर–5 में वादी 0.165 हैक्टेयर मुमकिन नहरी व 0.025 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला कुल 0.190 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार है तथा मुताबिक घोषणा जमाबंदी की प्रविष्टि किला नम्बर 5/1/0.101 हैक्टेयर को दुरूस्त फरमाया जाकर किला नम्बर 5/1/0.165 हैक्टेयर दर्ज किया जावे तथा रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी अपीलाण्ट/वादी की खतोदारी भूमि में चक 18 एचएमएच के पं. नं. 127/275 (49) किला नं. 5 में .190 है अर्थात 15 बिस्वा भूमि में कोई हस्तक्षेप नहीं करे।

डिक्री आज दिनांक 27.07.23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी की गई।

27/7/23

(करतार सिंह पूनिया) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ